फैक्स/ई-मेल
प्राथमिकता/समयबद्ध/गोपनीय
संख्या-726/6-पु-2-2020

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
2. पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0

गृह (पुलिस) अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 23 जून, 2020

विषयः प्रदेश के मा0 न्यायिक अधिकारियों एवं मा0 न्यायालय परिसर सहित न्यायिक कार्य से जुड़े अधिकारियों की समुचित एवं सुदृढ़ सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं0-पीएस(आरजी)/72/2020 इलाहाबाद दिनांक 23.06.2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और जिला न्यायालय परिसर सहित न्यायिक कार्य से सम्बन्धित व्यक्तियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त का तत्काल संज्ञान लेकर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और जिला न्यायालय परिसर सहित न्यायिक कार्य से सम्बन्धित व्यक्तियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में तत्काल सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही कराये जाने का कष्ट करें, ताकि सम्बन्धित अधिकारियों के साथ भविष्य में किसी भी प्रकार की घटना घटित न हो।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/सुरक्षा, उ0प्र0
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

PIL.com

आवश्यक/तत्काल निर्गत/फ्यू-मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

टावर-2, सप्तम् तल, पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

संख्याःडीजी-आठ-246(न्या0सु0 निर्देश)2020 दिनांकःलखनऊः जून 23 ,2020

NR-717

समस्त पुलिस आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

विषयः जनपद के न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायालयों की सुदृढ़ सुरक्षा-व्यवस्था के संबंध में।

कृपया जनपद में स्थापित जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय परिसरों, न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में इस मुख्यालय द्वारा पार्श्वांकित विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। इसी अनुक्रम में न्यायिक अधिकारियों/न्यायालयों की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

अ0पत्रांकःडीजी-आठ-246(न्या0सु0)2019 दि0:08.01.2019
पत्रांकःडीजी-आठ-246(न्या0सु0)2019 दि0:17.12.2019
पत्रांकःडीजी-आठ-246(न्या0सु0निर्देश)2020दि0:07.06.2020

- जिला न्यायालयों में कार्यरत मजिस्ट्रेटों/न्यायाधीशों की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्याः 3344-ए-छः-पु0-1-94-114/93 टी0सी0 दिनांक 10.11.1994 एवं समय-समय पर शासन स्तर से निर्गत किये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें।
- मा0 न्यायाधीशों के आवास से न्यायालय आने एवं न्यायालय से आवास जाने के मुख्य मार्गो पर स्थानीय पुलिस द्वारा सतर्क एवं सुदृढ़ सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा समय-समय पर पुलिस आयुक्त एवं जनपदीय पुलिस अधीक्षकों द्वारा इसकी समीक्षा की जाये।
- जनपदों में न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवंटित पीएसी बल का प्रयोग मा0 सत्र न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु ही किया जाय। इसका प्रयोग अन्यत्र किसी डियूटी के लिए न किया जाय।
- मा0 न्यायालय परिसर में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु लगायी गयी क्यू.आर.टी. को सक्रिय रखा जाये।
- मा0 न्यायालय परिसर में प्रवेश को नियन्त्रित करने हेतु प्रवेश द्वार सीमित संख्या में रखे जायें तथा उन पर चैकिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, ताकि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से अस्त्र-शस्त्र लेकर मा0 न्यायालय परिसर में प्रवेश न करने पाये।
- जनपद के न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वारों की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति/अपराधिक तत्व न्यायालय परिसर में प्रवेश न कर सके। इसी प्रकार वाहनों के प्रवेश के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जाय कि न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीश के वाहनों अथवा कार्यालय स्टाफ के वाहनों का ही प्रवेश परिसर में हो। इसके लिए जिला जज/प्रशासनिक अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत वाहन पास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- कतिपय जनपदों में ऐसे दृष्टांत सामनें आये हैं कि कई बार वादकारियों के मध्य आपस में अथवा विरोधी पक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा मारपीट की घटनाएं कारित की जाती है जिससे अप्रिय स्थित उत्पन्न होती है। इसके लिए यह उचित होगा कि वादकारियों की शिनाख्त करने के पश्चात ही न्यायालय परिसर में

- प्रवेश करने की अनुमति दी जाय। वादकारियों के वेश में अनुचित एवं अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश न करने दिया जाय। इसी प्रकार कभी-कभी अधिवक्ताओं के ड्रेस में अवांछनीय तत्व प्रवेश न्यायालय मे कर जाते हैं, जिससे न्यायालय परिसर मे अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस संबंध में बार के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा जिला जज/प्रशासनिक अधिकारी से समन्वय स्थापित कर न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले समस्त स्टाफ के लिए पहचान पत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- न्यायालय परिसर में प्रवेश को नियंत्रित करने हेतु प्रवेश द्वार सीमित संख्या में रखे जायें तथा उनपर चेकिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- न्यायालय परिसर की सुरक्षा हेतु बनाई गयी व्यवस्था का रिहर्सल/मॉकड्रिल भी समय-समय पर कराया जाय। प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर/स्कैनर की समुचित व्यवस्था की जाय जिससे न्यायालय परिसर में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की चेकिंग सुनिश्चित हो सके। न्यायालय परिसर के अन्दर लगे सी.सी. टी.वी.कैमरे सही दशा मे कार्य कर रहे हैं अथवा नही, के सम्बन्ध में समय-समय पर डी.वी.आर. की चेकिंग एवं मानीटरिंग कराई जाय। कोर्ट परिसर में प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाये जाने पर भी विचार कर लिया जाय।
- न्यायिक अधिकारियों के आवासीय प्रिसर की सुरक्षा व्यवस्था का भी आकलन कर लिया जाय तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसर की सुरक्षा हेतु संबंधित पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- मा0 न्यायालयों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसरों पर सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस बल की समय-समय पर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा आकस्मिक चेकिंग की जाये तथा निरीक्षण पुस्तिका में इसका विवरण अवश्य अंकित किया जाये।
- न्यायालय परिसर, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित व्यवस्था हेतु जिला जज/जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित न हो।
- समस्त पुलिस आयुक्त/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक समय-समय पर उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर मा0 न्यायिक अधिकारियों एवं मा0 न्यायालय परिसरों की अचूक सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

अतः मा0 न्यायायिक अधिकारियों एवं मा0 न्यायालय परिसर की सुरक्षा-व्यवस्था के सम्बन्ध में उपरोक्त बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित व्यवस्था हेतु जिला जज/जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर बेहतर सुरक्षा-व्यवस्था हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

23/6/20

(एच0सी0 अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- मा0रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः- निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Y/C FAX (ZONES)
सू. RANGE/DISTT को भेजें - DGP HQ LKO